न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/492

1. बीरबल पुत्र श्री प्रभूलाल उम्र 55 वर्ष जाति मीणा निवीस ग्राम डडवाडा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
2. श्री रामावतार पुत्र श्री बीरबल उम्र 26 जाति मीणा निवासी ग्राम डडवाडा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. विकास पुत्र श्री बीरबल उम्र 16 वर्ष जाति मीणा निवासी घोडी गॉव वाया सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां नाबालिग जरिये वली माता मंजू बाई पत्नी श्री बीरबल जाति मीणा घोडी गॉव वाया सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां ।
2. श्री रामकल्याण पुत्र श्री प्रभूलाल जाति मीणा ।
3. श्री माणकचन्द पुत्र श्री प्रभूलाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम डडवाडा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
4. श्रीमती रामभरोसी पुत्री श्री प्रभूलाल जाति मीणा निवासी कवंलदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री ललित नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री भारत सिंह अडसेला, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 27.08.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.12.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि ग्राम डडवाडा, नीमोदा व खेडा तहसील पीपल्दा में प्रार्थी तथा अप्रार्थी कम 1 से 5 की संयुक्त खातेदारी व कब्जा की पैतृक भूमि है । ग्राम डडवाडा में कुल 04 किता की कुल रकबा

10.38 हैक्टर में से खसरा नम्बर 756 रकबा 0.66 हैक्टर को छोडकर, ग्राम नीमोदा में कुल 07 किता की कुल रकबा 1.07 हैक्टर, ग्राम खेडा में कुल 03 किता की 2.43 हैक्टर एवं ग्राम नीमोदा में कुल 02 किता की रकबा 8.68 हैक्टर भूमि स्थित है । अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा ग्राम डडवाडा की भूमि में अपना 1/4 हिस्सा बताते हुए उक्त भूमि में सम्पूर्ण 1/4 हिस्सा का दान दिनांक 03.10.2016 को अप्रार्थी क्रम 2 के पक्ष में जरिये पंजीकृत दानपत्र निष्पादित कर दिया है । वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की पैतृक आराजी है जो कि संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति है । अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा अप्रार्थी क्रम 2 के पक्ष में किया गया दानपत्र प्रार्थी के हितों के विरूद्ध होने के कारण प्रारम्भ से प्रभावशून्य है । वादग्रस्त आराजी पैतृक भूमि है जो कि संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति है जिसमें प्रार्थी का जन्म से ही हिस्सा निहित हो गया है । प्रार्थी के हिस्से की भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अमल नहीं हो रहा है जिसकी आड में अप्रार्थी क्रम 1 प्रार्थी को उसको उसके विधिक अधिकारों से वंचित करने पर आमादा है । अप्रार्थी क्रम 1 उक्त भूमि को बिना विभाजन करवाये खुर्द–बुर्द, रहन, बेचान करने पर आमादा है । प्रार्थीगण का प्रथमदृष्टया प्रकरण उसके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद पारित की जावे कि अप्रार्थी क्रम 1 व 2 वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी के हिस्से की आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें तथा वादग्रस्त आराजी को बिना विभाजन करवाये खुर्द–बुर्द, रहन, बेचान नहीं करें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश दिनांक 14.12.2016 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण क्रम 1 व 2 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी तारीख पेशी दिनांक 17.01.2017 तक पाबन्द करने का आदेश पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अन्तरिम आदेश दिनांक 14.12.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट अप्रार्थीगण क्रम 1 व 2 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट के हिस्से में निहित वादग्रस्त आराजी पैतृक नहीं है । चूँकि अपीलान्ट क्रम 1 के पिता स्व0 प्रभूलाल जी का स्वर्गवास हो जाने के बाद वादग्रस्त आराजी क्रम 1 व रेस्पोडेन्ट क्रम 2 से 4 के मध्य विभाजित होकर हिस्सा 1/4 के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई और 1/4 हिस्सा के रूप में अपीलान्ट क्रम 1 व रेस्पोडेन्ट क्रम 2 से 4 के मध्य विभाजित होकर अलग–अलग कब्जे काश्त में चली आ रही है और अपीलान्ट क्रम 1 अपने हिस्से की भूमि पर बहैसियत एक मात्र मालिक काबिज होकर उपयोग उपभोग करते हुए काश्त करते चले आ रहे हैं । अपीलान्ट क्रम 1 के हिस्से वाली भूमि में रेस्पोडेन्ट क्रम 1 का कोई हित अधिकार हिस्सा निहित नहीं है । रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने परिवार के सभी पुरूष व महिला सदस्यों को पक्षकार नहीं बनाया है । अपीलान्ट रिकॉर्डेड खातेदार है और रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । अधीनस्थ न्यायायल द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय रूप से आदेश पारित किया है जिसकी जानकारी अपीलान्ट को पुलिस थाना इटावा में रेस्पोडेन्ट क्रम 1 की

शिकायत पर बुलाने पर दिनांक 10.09.2017 को हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट का 1/4 हिस्सा निहित है । रेस्पोडेन्ट ने एक दावा खातेदारी एवं विभाजन का अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया । रेस्पोडेन्ट कम 1 अपीलान्ट की दूसरी पत्नी का पुत्र है जो जन्म से ही अपने ग्राम घोडी में निवास कर रहा है । रेस्पोडेन्ट कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा पेश कर अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया और यह कथन किया कि प्रार्थी अप्रार्थी कम 1 की दूसरी पत्नी का पुत्र है जो नाबालिग है । वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थी कम 1 का 1/4 हिस्सा निहित है । वादग्रस्त आराजी पैतृक भूमि है और संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायिकी सम्पत्ति है । अप्रार्थी कम 1 द्वारा अप्रार्थी कम 2 के पक्ष में लिखा दानपत्र प्रभावशून्य है । वादग्रस्त आराजी पर प्रथमदृष्टया प्रार्थी का हित–निहित है, सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है । अतः उनके पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 14.12.2016 को प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करते हुए अप्रार्थी कम 1 और 2 को अगामी तारीख पेशी तक अस्थयी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है जो विधि–विरूद्ध है । उसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है वह विधि– विरूद्ध है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.12.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अन्तरिम स्थगन आदेश आगामी तारीख पेशी तक के लिए जारी किया गया है जिसके खिलाफ अपील मेन्टेनेबल नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.12.2016 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 14.12.2016 के खिलाफ अपील पेश की है । दिनांक 14.12.2016 को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आगामी तारीख पेशी तक अप्रार्थीगण को रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु

पाबन्द किया है और इसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 17.01.2017 नियत की गई है । अपीलान्टगण द्वारा अपील दिनांक 25.09.2017 को पेश की गई है । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाब और शेष अप्रार्थीगण की तलबी में लम्बित थी । अपीलान्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाब पेश नहीं किया है । हम इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण से जवाब प्राप्त कर विधिक निर्णय पारित किया जाना उचित समझते है। अपील अंतरिम आदेश के खिलाफ पेश की है गई है जो मेन्टेनेबल नहीं है ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट से जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त कर उभय पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पत्रावली प्राप्ति के 03 माह के अन्दर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 21.10.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 27.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा